न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 13/2013

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 तेजाराम पुत्र भलाजी		1 शांति पुत्री भेराजी पत्नि केनाराम जाति मीणा निवासी पालडी एम, तहसील शिवगंज
2 अमराराम पुत्र राजाजी		2 धरमी पुत्री भेराजी पत्नि शंकरलाल
3 तलसा पुत्र त्रिकमाजी		3 हीरी पुत्री भेराजी पत्नि मीठाराम जातिगण मीणा निवासीगण पोसालिया तहसील शिवगंज
4 नोपा पुत्र पदमाजी		4 सोमाराम पुत्र गोरखाराम जाति भील निवासी तरूंगी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
5 बाबुलाल पुत्र भलाजी जातिगण मीणा निवासीगण अरठवाडा तहसील शिवगंज		5 पप्पाराम पुत्र मठाराम जाति मीणा निवासी चौकडिया तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली
		6 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार शिवगंज जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
2. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 5 अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.1.18

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेन्ट्स के प्रस्तुत कर सहाक जिलाधीश शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2012 तेजाराम वगैरा बनाम धरमी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.07.2013 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहे। इस कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के विरूद्ध इस प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अरठवाडा के खसरा नम्बर 502, 503 कुल रकबा 75 बीघा 19 बिस्वा की भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी की दर्ज है। उक्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता भैराजी का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं था, किन्तु राजस्व रेकर्ड में विधि विरूद्ध रूप से भैराजी का 1/4 हिस्सा दर्ज था। उक्त त्रुटी का नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से भेराजी के देहान्त के पश्चात उनके हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होने के पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

5 के नाम कर दिया। इस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 को स्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने हेतु अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र पर बिना कोई गौर किए, जैर अपील आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। वर्तमान स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 इस भूमि पर अजनबी व्यक्ति है तथा एक अजनबी व्यक्ति को संयुक्त खातेदारी की आराजी में बिना विभाजन प्रवेश करने का कोई अधिकार ही नहीं था, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया। जो विधि विरूद्ध है। उक्त अजनबी व्यक्ति भूमि के विशिष्ठ हिस्से पर कब्जा काश्त करने का प्रयास कर रहे है, जिन्हे नहीं रोका गया तो वाद बाहुल्यता बढ़ेगी एवं साथ ही अपीलाण्ट को अपूर्णिय क्षति भी कारित होगी, जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। लिहाजा अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी सह खातेदारी भूमि ग्राम अरठवाडा के खसरा नम्बर 502, 503 कुल रकबा 75 बीघा 19 बिस्वा की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता का नाम विधि विरूद्ध दर्ज होने के कारण उन्हे बेचान हस्तान्तरण से रोकने हेतु अस्थाई व्यादेश प्रदान कराने का अनुतोष चाहा। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 24.07.2013 को जैर अपील आदेश पारित किया तथा अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया। इस न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा अपनी अपील के चरण संख्या 1 में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का वाद एवं उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है। इस तथ्य को अपीलाण्ट द्वारा नकारा नहीं है कि पूर्व मे उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता भैराजी का 1/4 हिस्से अनुसार नाम दर्ज था। भैराजी फौत होने पर उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हुई एवं इसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के बेचान की गई। इससे यह प्रमाणित तथ्य है कि राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्ट खातेदार दर्ज रहे है। इस सम्बन्ध **2013(2) RRT Page 828 Rameshi vs. Kajod & ors** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- temporary Injunction application rejected & affirmed by the appellate Court- Land not recorded in the Khatedari of the plaintiff- No. T.I. can be granted against the recorded khatedar- Possession of non-petitioners no. 3 & 4 would be treated after the death of 'B'- Petitioner failed to prove possession- objection raised can only be decided during trail-Concurrent judgments- Held, No illegality or perversity in the order.] **2012(2) RRT Pg. No. 1439 Pooran Chand & ors. V/s. Gopal Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Trail court restrained both the parties but RAA Dismissed the application of the petitioners – Land recorded on Khatedari of GP – No Revenue entry in favour of the petitioners – Khatedari of 'GP' is based in the registered sale deed Appellate court not found the Prima facie case in favour of the petitioner 'KP' & ors. – Concurrent finding regarding Khatedari & possession – No T.I. can be granted against the recorded Khatedar holding possession

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

– Held, R.A.A. has not committed any illegality or jurisdictional error.(Para's 7,8). **RRT 2013(1) Pg. No. 133 Kalu & ors. V/s. Jagdish Prasad & ors.** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- RAA set aside the order of granting TI – Non-petitioner purchase the land from the recorded Khatedar of the land by regd. Sale deed- Petitioners are required to prove their case by producing evidence – Prima facie case in favour of the non- petitioners – Held, No Jurisdictional error in the order. (Para's 7,8). **2006-07(supp.) RRT, Pg. No. 368 Dhanni V/s. Ramuram** में प्रतिपादित किया कि " Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Revision – Scope – Temporary injunction refused- Order upheld in appeal – Petitioner failed to prove prima facie case, balance of convenience & irreparable loss – Rights & title will be decided in regular suit – Possession not proved – Scope of revision is very limited – Re-appreciation of facts in not. Justified-Held, Revision deserves to be dismissed.(Para's 9,10). **RRT 2015(1) Pg. No. 633 Awtar Khan V/s. Mehar Bano & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Applications dismissed – Respondent No. 1 & 2 are the recorded Khatedar of the land & no temporary Injunction can be granted – Concurrent finding – Limited scope – Held, No material illegality or jurisdictional error in the order. (Para's 8,9). **RRT 2015(1) Pg. No. 560 Jhanwari Lal & ors V/s. the Board of Revenue & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – R.A.A. Set aside the order of granting T.I. & Affirmed by the BOR – Registered sale deed in favour of 'B' husband of the respondent no. 2 – No prima facie case found in favour of the petitioners – Held, No error in order of rejecting revision. (Para's 9,10,11). **RRT 2014(2) Pg. No. 1301 Goparam & ors V/s. Harima Ram & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Application for granting T.I. was dismissed – Defendants / non-applicants are the recorded Khatedar of the land & they are in possession of the land – Concurrent findings – Held, No T.I. can be granted & order suffered with no irregularity or illegality.(Para 7). **RRT 2004(1) Pg. No. 587 Kaushlya V/s.Chotu & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- P&N purchased the land from non-petitioner nos. 1 to 3 who subsequently sold to non-petitioners nos. 5 to 9 & they are in possession of land – No Possession of plaintiff – 1/5 share claimed by plaintiff in property being ancestral – No prima facie, or balance of convenience in favour of petitioners – Held, no illegality or irregularity in the order of R.A.A. (Para's 7,8). **RRT 2009 (2) Pg. No. 1398 Ramjuddin & ors V/s. Ganesh Kumar & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212- Temporary Injunction – Name of non-petitioner no. 1 entered wrongly in the revenue record – Suit relating to land is pending disposal since 1995 – Non Petitioner sold the Land to non-petitioner no. 2 & 3 pending suit- Non-petitioner no. 1 recorded Khatedar & petitioner has not produced any document of possession – No T.I. can be granted against a recorded Khatedar – Concurrent findings – Interference not justified.(Para 7). **RRT 2009(2) Pg. No. 1393 Dhupa V/s. Mamman & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Rajasthan tenancy act, 1955-Sec. 212 & 230 - Application for granting T.I. rejected in absence of the prima facie case – revision – Non-Petitioners are recorded Khatedar of the disputed land & they are in possession – No proof produced to show possession – Concurrent finding – Held, No case made out for interference.(Para's 8,9). **RRT 2010(2) Pg. No. 1210 Rahul Maheshwari V/s. Gyarsa & ors.** में प्रतिपादित किया कि "Code of civil Procedure, 1908 – Order 39 Rule 1 & 2 – Temporary injunction – Application dismissed – Suit filed for specific performance of agreement to sell but original agreement not produced – Rs. 29 lacs were paid not proved – Suit filed after 28

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

... अपील प्राधिकारी
पाली

Months of the sale – Defendants no. 3 & 4 are bonafide purchasers & purchased the land by Regd. Sale deed- Held, no interference is warranted. (Para's 32, 33, 34).

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 व 5 सद्भावी क्रेता है तथा राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज होकर काबिज आराजी है। एक रेकर्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने के तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति को अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतः असफल रहे है। जिसके कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा सहायक जिलाधीश शिवगंज द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2012 तेजाराम वगैरा बनाम धरमी वगैरा में पारित आदेश दिनांक 24.07.2013 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.1.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली